पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 10.04.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांकः-10.04.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

महोबा पुलिस

थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने आपराधिक प्रवृत्ति के शातिर अभियुक्त को अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ किया गिरफ्तार--

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण एवं बिक्री पर प्रभावी रोकथाम लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक- 10.04.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली महोबा श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह मय हमराह हे0कां0 अमित नागर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त विक्की ठाकुर उर्फ जयवेन्द्र सिंह पुत्र बाबू सिंह उर्फ राजा सिंह कछवाह उम्र 27 वर्ष निवासी लौडी तिगेला के पास मो0 सुभाष नगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए मो0 शेखूनगर थाना कोतवाली नगर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 167/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

विक्की ठाकुर उर्फ जयवेन्द्र सिंह पुत्र बाबू सिंह उर्फ राजा सिंह कछवाह उम्र 27 वर्ष निवासी लौडी तिगेला के पास मो0 सुभाष नगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह
2.हे0कां0 अमित नागर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 09/22 धारा 147/148/149/307/34 आईपीसी
2. मु0अ0सं0 160/24 धारा 323,504,506 आईपीसी
3. मु0अ0सं0 252/24 धारा 323, 504, 506 आईपीसी
4. मु0अ0सं0 279/22 धारा 3(1)(घ),3(1)(द),3(2)(va) sc/st act व 323,504,506 IPC
5. मु0अ0सं0 630/24 धारा 115(2), 117(2), 351(2), 352 बीएनएस
6 .मु0अ0स0 167/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 10.04.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कबरई की पुलिस टीम ने 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों को शान्तिपूर्ण माहौल में सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 10.04.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 सुनील कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 44/25 धारा 137(2)/351(2)/65(1)/87 बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना कबरई जनपद महोबा से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त बरदानी पुत्र लल्ही प्रजापति निवासी ग्राम खजुरिहा पहरा थाना कबरई जनपद महोबा उम्र करीब 20 वर्ष को ग्राम पहरा मोड़ थाना कबरई जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

बरदानी पुत्र लल्ही प्रजापति निवासी ग्राम खजुरिहा पहरा थाना कबरई जनपद महोबा उम्र करीब 20 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 सुनील कुमार मिश्रा
2. कां0 इन्द्रजीत यादव
3. म0आ0 प्रीति देवी

थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार –

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक-10.04.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोक कुमार द्वारा गठित की गई उ0नि0 अजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त रोविंश यादव पुत्र हेतराम यादव उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम गुढ़ौ थाना हरपालपुर जनपद छतरपुर म0प्र0 जिसके कब्जे से 01 सफेद प्लास्टिक के झोले में 20 अदद क्वार्टर देशी शराब झूम ब्रांण्ड नाजायज बरामद करते हुए ग्राम तेईया के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 63/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई

गिरफ्तार अभियुक्त-

रोविंश यादव पुत्र हेतराम यादव उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम गुढ़ौ थाना हरपालपुर जनपद छतरपुर म0प्र0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 अजय प्रताप सिंह
2. कां0 नितिन कुमार

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत “परिवार परामर्श केन्द्र” कमेटी के सदस्यों ने 03 परिवारों को बिखरने से बचाया, परिवार में लौटी खुशियां-

आज दिनांक- 10.04.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन पर पुलिस लाइन अवस्थित सभाकक्ष में “परिवार परामर्श केन्द्र” कार्यक्रम का आयोजन प्रभारी महिला थाना सुषमा चौधरी की अध्यक्षता में समस्त सदस्यगणों की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिसमें पति-पत्नी के 10 ऐसे जोड़े जिनके बीच पारस्परिक परिवारिक विवाद चल रहा था, उनकी काउंसिलिंग की गयी एवं उनके मध्य संबंधित समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के निदान हेतु काउंसिलिंग/परामर्श कर उनकी समस्याओं को सुलझाया गया जिसके परिणामस्वरुप पति-पत्नी का 03 जोड़े आपस में एक साथ रहने के लिए राजी हुए हैं, शेष को अगली तिथि में बुलाया गया है, जनपद महोबा पुलिस एवं परिवार परामर्श केन्द्र के सदस्यों के द्वारा किये गये सफल प्रयासों की सभी के परिवारीजनों ने धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया है।

परिवार परामर्श के दौरान म0कां0 नेहा देवी, म0कां0 विभा सिंह सहित परिवार परामर्श कमेटी से काउंसलर क्रमशः श्रीमती नीतू पालीवाल, श्री सुरेश चन्द्र जायसवाल, श्री रामजी गुप्ता, श्री शिवकुमार गोस्वामी, श्री मो0 हनीफ आदि सम्मानित सदस्यगणों की मौजूदगी सराहनीय रही ।